न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 4003 / 2003 / हनुमानगढ

बरकत खां पुत्र खेरदीन जाति लुहार निवासी ग्राम जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

.....रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित–
श्री एस0पी0 सिंह, अभिभाषक अपीलांट
श्री विजेन्द्र चौधरी, अति0राजकीय अभि0 रेस्पो0

निर्णय **दिनांक 29.06.2018**

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 17–5–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा सहायक कलक्टर, नोहर मुख्यालय भादरा द्वारा वाद उनवानी ''बरकत खां बनाम सरकार'' (वाद संख्या 167 / 2001) को डिक्री करने के निर्णय को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट / वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद इस आशय का पेश किया था कि चक 10 बारानी में उसके कब्जा काश्त में करीब 17 बीघा बारानी कृषि भूमि कदीम से चली आ रही है। पूर्व में उक्त जमीन खसरों में थी तथा अब किलों में तब्दील हो गई

है, जिसके वर्तमान में मुरब्बा नं0 1 किला नं0 25, मुरब्बा नं0 21 किला नं0 1, 2, 9 ता 12, मुरब्बा नं0 22 किला नं0 5, 6, 15 है। उक्त भूमि पहले वादी के परिवार के सदस्य ज्यान मोहम्मद के नाम दर्ज हो गई थी, जिसे वादी ने अपने नाम सही तौर पर दर्ज करवा ली। इसके अलावा चक 10 बारानी के ही मुरब्बा नं0 22 के किला नं0 4, 7, 14, 17, 24 की 5 किला भूमि गलत तौर पर ''सिवायचक काबिल काश्त'' दर्ज कर दी गई एवं 2 किला भूमि अन्य काश्तकार के नाम दर्ज कर दी, जिसके लिये पृथक से कार्यवाही जेरकार है। चूंकि वादी पूर्वजों के समय से यह भूमि काश्त करता आ रहा है, इसलिए उक्त 11 किला भूमि के साथ ही चक नंबर 10 बारानी के मु0नं0 22 के किला नं0 4, 7, 14, 17 व 24 की 5 किला बारानी भूमि का भी वादी खातेदार काश्तकार दर्ज होना चाहिए था किन्तु राजस्व अधिकारियों ने दौराने सेटलमेन्ट गलत तौर से वादी की खातेदारी भूमि को सिवायचक काबिल काश्त भूमि दर्ज कर दिया। वादी का 17 किला भूमि का इकजाई खेत है, जिसके चारों तरफ पुख्ता सींव डोले पुराने समय की बनी हुई है। अतः वाद पेश कर निवेदन किया गया कि चक 10 बारानी के मु0नं0 22 के किला नं0 4, 7, 14, 17, 24 की 5 किला भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए तथा उक्त भूमि सिवायचक काबिल काश्त की बजाय वादी के नाम खातेदारी दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड तदनुसार दुरूस्त किया जाए। राज्य सरकार ने जवाब दावा पेश कर वादी का इस भूमि में कब्जा काश्त होने से इन्कारी की तथा यह भी उल्लेख किया कि भूमि विधिनुसार सिवायचक दर्ज है। प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। साक्ष्य वादी में तीन गवाहान क्रमशः बरकत खां पीडब्ल्यू 1, चेतराम पीडब्ल्यू 2 व इलामुदीन पीडब्ल्यू 3 के बयान कराए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी प्रदर्श 1 व 2, कब्जा काश्त की रिपोर्ट प्रदर्श 3, नक्शा भूमि प्रदर्श 4 एवं खसरा गिरदावरी प्रदर्श 5 प्रस्तुत किए गए। खण्डन में प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं की गई। दोनों पक्षों की बहस सुनकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद दिनांक 7–1–2002 को डिक्री किया, जिससे व्यथित होकर राज्य सरकार ने राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के यहां प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिसे दिनांक 17–5–2003 के निर्णय व डिक्री के द्वारा स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री अपास्त किये गये। अतः वादी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी/अपीलांट की दलील है कि वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य अखण्डित रही है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं है। साक्ष्य से यह साबित है कि वादी वादग्रस्त सम्पत्ति पर बतौर खातेदार कदीम से काबिज चला आ रहा है, इसी कारण विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी का वाद डिक्री किया था किन्तु विद्वान प्रथम अपील न्यायालय ने महत्वपूर्ण तथ्यों को दरकिनार करके राज्य सरकार की अपील स्वीकार कर ली। अतः निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर विद्वान प्रथम अपील न्यायालय के निर्णय व डिक्री अपास्त किये जावें।

4. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने उक्त दलीलों का विरोध किया। उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

5. उक्त तर्को पर मनन किया गया। पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

6. मौजूदा प्रकरण में चक 10 बारानी के मुरब्बा नं0 22 के किला नम्बरान 4, 7, 14, 17, 24 कुल 5 बीघा भूमि का विवाद है। खुद वादी की ओर से प्रस्तुत की गई हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्रदर्श 3 व नक्शा प्रदर्श 4 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त जमीन ''सिवायचक'' भूमि है, जो कि वादी की जमीन के चिपता हुआ रकबा है। इन परिस्थितियों में वादी द्वारा राजकीय भूमि पर कब्जा करके काश्त की गई है, तो इससे उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने मात्र इस आधार पर वादी का वाद डिक्री किया था कि प्रतिवादीगण ने उसकी साक्ष्य का खण्डन नहीं किया है। विद्वान विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण विधि सम्मत नहीं है। मात्र इस आधार पर किसी वाद को डिक्री नहीं किया जा सकता है कि विपक्षी पक्षकार ने कोई खण्डन नहीं किया है। वादी को अपना मामला खुद के पॉव पर खडा होकर साबित करना था किन्तु वह इस तथ्य को साबित नहीं कर पाया कि वादग्रस्त जमीन पर उसके कोई हक या अधिकार निहित हैं। इसलिए विद्वान प्रथम अपील न्यायालय ने साक्ष्य का विधिक परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करके विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री

को अपास्त करने में कोई विधिक या तात्विक त्रुटि नहीं की है। इस अपील में विधि का कोई सारवान प्रश्न अन्तर्लिप्त नहीं होने से यह द्वितीय अपील खारिज किये जाने योग्य है।

7. लिहाजा वादी अपीलांट बरकत खां की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–5–2003 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य